



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 29.08.2023

थाना बडौत पुलिस थाने के मु0अ0सं0 581/23 धारा 498ए/323/504/307
भादवि व 3/4 मुस्लिम विवाह अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को किया
गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 581/23 धारा 498ए/323/504/307 भादवि व 3/4 मुस्लिम विवाह अधिनियम में वांछित 01



अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

मोनू पुत्र मजीद निवासी ग्राम बड़का थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 दलवीर सिंह थाना बडौत ।

2-है0का0 213 मोहित कुमार थाना बडौत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 29.08.23

थाना बडौत पुलिस ने 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-मोनू सैनी पुत्र कृष्णपाल सैनी निवासी करबा व थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-सोनू पुत्र सुरेश निवासी मौहल्ला देवनगर करबा थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-चाँद मिया पुत्र छम्मो निवासी ढोढरा थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री दिग्विजय सिंह थाना बडौत जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 सोनवीर सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 विकुल तोमर थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4-का0 463 पवन कुमार थाना बडौत जिला बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकड़ा

दिनांक-29.08.2023

थाना खेकड़ा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 मोटरसाइकिल टीवीएस अपाचे फर्जी नम्बर प्लेट लगी बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है । जिसके कब्जे से 01 मोटरसाइकिल टीवीएस अपाचे फर्जी नम्बर प्लेट लगी बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खेकड़ा पर मु0अ0सं0 351/23 धारा 465/411/414 भादवि पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

कृष्ण पुत्र जगदीश निवासी चारवाला राजगढ़ थाना सिद्धमुख जनपद चोरु राजस्थान ।

बरामदगी का विवरण-

- 01 मोटरसाइकिल टीवीएस अपाचे फर्जी नम्बर प्लेट लगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 1-मु0अ0सं0 351/23 धारा 465/411/414 भादवि थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0 189/19 धारा 63/72 आबकारी अधिनियम थाना बालैनी जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 नरेश चन्द यादव थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 2-का0 149 सचिन थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।
- 3-का0 1008 मिथुन कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना खेकड़ा

दिनांक 29.08.2023

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 348/2023 धारा 452/354/354ख
भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 348/2023 धारा 452/354/354(ख) भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

मनीष पुत्र जगपाल निवासी बन्थला थाना लोनी जनपद गाजियाबाद हाल पता निवासी करुबा व थाना खेकडा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-म0उ0नि0 साक्षी सिंह थाना खेकडा ।

2-है0का0 351 पवन नागर थाना खेकडा ।

3-का0 555 रवि कुमार थाना खेकडा ।



Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE



अपहरण कर बलात्कार की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी धूम सिंह को पुलिस मॉनिटरिंग सैल और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 10 वर्ष का कठोर कारावास व 23 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

अवगत कराना है कि अभियुक्त धूम सिंह पुत्र टारझन निवासी मीर डार रोड आई पी स्टेट मध्य दिल्ली जनपद दिल्ली द्वारा वर्ष- 2021 में वादी की पत्नी का अपहरण कर बलात्कार करने की घटना कारित की गयी थी । जिसके सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0- 190/21 धारा 376/366/323/328/506 भादवि पंजीकृत हुआ था । इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल व अभियोजन पक्ष द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई । जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 29.08.2023 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त धूम सिंह को दोषी पाते हुए धारा 376 भादवि में 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि में 05 वर्ष के साधारण कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड, धारा 328 भादवि में 05 वर्ष के साधारण कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड, धारा 323 भादवि में 01 वर्ष के साधारण कारावास व 1,000 रुपये के अर्थदण्ड व धारा 506 भादवि में 02 वर्ष के साधारण कारावास व 2,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की बड़ी सफलता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।



@baghpatpolice